Telecom Commission. Necessary steps will be taken after the modalities for finalised.

726. [*Transferred to the 28th July, 1989*]

सार्वजनिक टेलीफोन से टेलीफोन कनक्शन प्राप्त किया जाना

727. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ असामाजिक तत्वों ने महानगर टेलीफोन निगम, दिल्ली के नियमों का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक टेलीफोन बूथ से पृथक टेलीफोन कनैक्शन लिये हैं;

(ख) क्या उक्त निगम द्वारा तब से इस संबंध में कोई गुप्त सतर्कता जांच करवाई गयी है, यदि नहीं, तो क्या सरकार इस तरह की जांच करवाने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और क्या सरकार दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) जी हां। विभागीय सार्वजनिक टेलीफोन सूत्रों से कोई भी पृथक टेलीफोन कनैक्शन लेने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तथापि कुछ मामलों में नियमों का उल्लंघन करके निजी पक्षकारों को दिए गए गारन्टी शुदा सार्वजनिक टेलीफोन से पृथक टेलीफोन कनेक्शन लेने के मामले प्रकाश में आए हैं।

(ख) उन सभी मामलों में जांच की गई जिनमें पृथक कनैक्शन लिए जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी।

(ग) गारन्टीशुदा सार्वजनिक टेलीफोन से पृथक टेलीफोन कनैक्शन लेने के मामलों की जानकारी प्राप्त होते ही, भारतीय तार नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई आरम्भ कर दी जाती है।

Representation of Food Inspectors of Delhi Administration

728. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a representation of the Food Inspectors dated the 2nd January, 1989 against Local Health Authorities was received by the Department of Prevention of Food Adulteration, Delhi through Chief Secretary, Delhi Administration ;

(b) if so, the details of the representation and the date on which the representation was received by the Director, PFA, Delhi ; and

(c) what action has been taken by the Director of the Department on the representation so far?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAFIQUE ALAM) : (a) to (c) A copy of the representation dated 2nd January, 1989 was received by the Director, Department of Prevention of Food Adulteration, Delhi Administrtion. The complaint was looked into by the Director, Prevention of Food Adulteration, Delhi and a report has been sent to the Secretary (Medical), Delhi Administration, Delhi on 4th July, 1989.

Allotment of land for construction of CGHS building

729. SHRI CHATURANAN MISHRA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether land has been handed over by the DDA for constructing a CGHS building for Government employees residing in Laxmi Nagar, Shakarpur etc. ;

(b) if so, the details thereof ;